छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 56/2006</u>

श्री हरिश्चन्द्र खोबरागड़े, ... अपीलार्थी
अध्यक्ष,
लघु वेतन कर्मचारी संघ,
जिला शाखा बस्तर,
जगदलपुर

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
संचालनालय संस्कृति एवं
पुरातत्व, छत्तीसगढ़,रायपुर

:: आदेश ::

(09 मई 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरिश्चन्द्र खोबरागड़े द्वारा दिनांक 18–11–2005 को प्रतिअपीलार्थी के समक्ष सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उनके कथन अनुसार निर्धारित अवधि में उन्हें सूचना प्रदान नहीं की और अवधि के बाद जो भी सूचना दी गई वह भ्रामक एवं अपूर्ण थी। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने यह अपील प्रस्तुत की है। उन्होंने प्रथम अपील दिनांक 3–1–2006 को प्रस्तुत की थी, उस पर कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए।

इस संबंध में रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया। प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 10–1–2006 को स्पीड–पोस्ट से जानकारी भेजी गई थी, और उसके बाद दिनांक 14–2–2006 के पत्र से पुनः जानकारी प्रदान की गई। रिकार्ड से यह भी स्पष्ट

होता है कि आवेदक ने जो जानकारी मांगी थी, वह तो उन्हें उपलब्ध करा दी गई है, किन्तु अपने सेवा से संबंधित एवं एक अन्य कर्मचारी से संबंधित उनकी कुछ मांगें हैं, जिसके बारे में विभागीय अभिमत अथवा इस आयोग से उनकी मांगों का निराकरण चाहा गया है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आयोग केवल उन्हें सूचना प्रदान करा सकता है। जहां तक सूचना विलंब से दिये जाने का प्रश्न है, में विलम्ब स्वतः सिद्ध होता है और उसके लिए विभाग ने कोई कारण भी नहीं बताया है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि 21 दिन का जो विलम्ब हुआ है उसके लिए रुपए 5,000/— की शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जारी हो, साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विलम्ब से जो जानकारी दी गई थी, इसके लिए आवेदक से जो भी शुल्क जमा करवाया गया है, वह पूरी राशि उन्हें वापिस की जाये, क्योंकि विलम्ब से जानकारी निःशुल्क देने का प्रावधान अधिनियम में है साथ ही अपीलार्थी द्वारा जो अपूर्ण जानकारी बताई गई है, उस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जाये और उसमें से जो भी जानकारी दी जाने योग्य हो, वह उन्हें 15 दिनों की अवधि में निःशुल्क प्रदान की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग